शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-59/2015/2406/52-1-15-03(18)/10

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 05 सितम्बर, 2015

विषय मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(5)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 31.03.2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2837/52-1-2012-03(18)/10, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** के रूप में रू० 549.38 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था- कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,लखनऊ के लिए अवमुक्त की गयी थी ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 31.03.2011 द्वारा रू० 615.00 लाख की प्रथम किश्त के सापेक्ष रू० 549.38 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू० 65.62 लाख बागपत में 250 इन्दिरा आवासों की ड्राप की गयी योजना के सापेक्ष बचे हुए केन्द्रांश रू० 65.62 लाख को सम्मिलित कर अवमुक्त किया जायेगा।

3- जनपद-बागपत में 250 इन्दिरा आवासों की ड्राप की गयी योजना के सापेक्ष बचे हुए केन्द्रांश रू० 65.62 लाख को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के पत्र संख्या'5120/अ०स०क०नि०-209/लेखा/बजट-सामा०/2010-11, दिनांक 31.03.2011 के माध्यम से शासन में समर्पण किया गया था, जिसे समर्पित किया जा चुका है । अत: उक्त धनराशि रू० 65.62 लाख (रू० पैंसठ लाख बासठ हजार मात्र) को जनपद बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** की अवशेष धनराशि के रूप में अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/रा0 00-के0)-**24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

6- उक्त धनराशि को व्यय िकये जाने सम्बन्ध में शेष शर्तें शासनादेश संख्या-2837/52-1-2012-03(18)/10, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के अनुसार लागू होंगी ।

भवदीय,

(मो०शफकत कमाल)
विशेष सचिव।

संख्या-2406(1)/बावन-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

http://srisanadesh.up.nic.in

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत बागपत के छपरौली में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/बागपत ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बागपत।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in